

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

आदेश

संचिका संख्या-10/सम0(जिला भ्रमण)-10/2026-...1085...(10)/रा0, पटना-15, दिनांक-21/09/26

विभागीय पत्रांक-2587(9), दिनांक-15.09.2026 के द्वारा दिनांक-15.09.2026 से 31.10.2026 तक "जमाबंदी अद्यतीकरण, उत्तराधिकार नामांतरण, विशेष अभियान" प्रारंभ किया गया है। उक्त विशेष अभियान में मूल जमाबंदी से भिन्न रैयत का नाम, पिता का नाम, खाता/खेसरा/लगान आदि अंकित हो गया है अथवा शून्य रकवा, शून्य लगान अंकित हो गया है तथा जमाबंदियों में Missing सूचनाएँ, जिसके जमाबंदीदार मृत हो चुके हैं, के जमाबंदी अद्यतनीकरण हेतु विशेष अभियान समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार दिनांक-31.10.2026 तक पूर्ण किया जाना है।

2. उक्त "जमाबंदी अद्यतीकरण, उत्तराधिकार नामांतरण, विशेष अभियान" के त्वरित गति से निष्पादन के अनुश्रवण हेतु विभाग स्तर पर निम्नरूपेण प्रमण्डलवार विभागीय पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है :-

क्र0स0	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	प्रमण्डल का नाम
1	डॉ0 महेन्द्र पाल, भा0प्र0से0, अपर सचिव	पटना प्रमण्डल के सभी जिला
2	श्री आजीव वत्सराज, अपर सचिव	मगध प्रमण्डल के सभी जिले
3	श्री गिरधारी लाल, संयुक्त सचिव	मुंगेर प्रमण्डल के सभी जिले
4	श्री संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव	सारण प्रमण्डल के सभी जिले
5	डॉ0 सुनील कुमार, संयुक्त सचिव	तिरहुत प्रमण्डल के सभी जिले
6	श्री मणि भूषण किशोर, विशेष कार्य पदाधिकारी	कोशी प्रमण्डल के सभी जिले
7	श्रीमती मोना झा, उप निदेशक, सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग	दरभंगा प्रमण्डल के सभी जिले
8	श्री0 नवाजिश अख्तर, विशेष कार्य पदाधिकारी	भागलपुर प्रमण्डल के सभी जिले
9	श्री अविनाश कुमार, उप सचिव	पूर्विया प्रमण्डल के सभी जिले

3. उपरोक्त नामित नोडल पदाधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस पर विभागीय आई0टी0 मैनेजर द्वारा उपलब्ध कराये गये अद्यतन प्रतिवेदन के आधार पर आवंटित जिलों के अपर समाहर्ता से "जमाबंदी अद्यतीकरण, उत्तराधिकार नामांतरण, विशेष अभियान" के प्रगति के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर प्रगति का अनुश्रवण किया जायेगा।

(I) क्या विभाग द्वारा तैयार की गयी लक्ष्य की जानकारी सभी कर्मियों एवं अपर समाहर्ताओं को है अथवा नहीं ?

(II) क्या अंचलों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गयी है अथवा नहीं ?

(III) समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

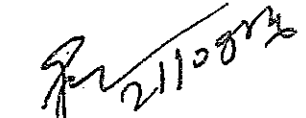
(IV) जिला मुख्यालय स्तर से इस हेतु फ़िल्ड के कर्मियों को निदेशित किया गया है अथवा नहीं ?

(V) प्रतिदिन अनुश्रवण की क्या योजना है ?

(VI) इस अभियान को पूर्ण करने के लिए ई-मापी के लिए आवश्यकतानुसार विशेष सर्वेक्षण के अमीनों को लगाये जाने के संबंध में बन्दोबस्त कार्यालय के साथ बैठक आयोजित की गयी है अथवा नहीं ? कितने मामलों में मापी की आवश्यकता होगी इसका आकलन किया गया है अथवा नहीं ?

(VII) अंचल कार्यालय स्तर पर विशेष अभियान के सफल संचालन के लिए ग्राम पंचायतवार/हल्कावार मुखिया/सरपंच/पंच/वार्ड सदस्य के साथ बैठक की गयी है अथवा नहीं ?

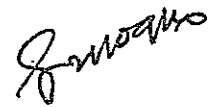
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



(गिरधारी लाल),
संयुक्त सचिव।

संचिका संख्या-10/सम0(जिला भ्रमण)-10/2026-1285.....(10)/रा०, पटना-15, दिनांक-21/02/26

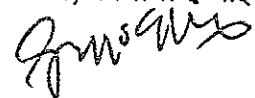
प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता/सभी अपर समाहर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(गिरधारी लाल),
संयुक्त सचिव।

संचिका संख्या-10/सम0(जिला भ्रमण)-10/2026-1285.....(10)/रा०, पटना-15, दिनांक-21/02/26

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव (विभागाध्यक्ष) के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के आशुलिपिक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित पदाधिकारी/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।



(गिरधारी लाल),
संयुक्त सचिव।